

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 62] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 19, 1977/चैत्र 29, 1899

No. 62] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 19, 1977/CHAITRA 29, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

RESOLUTION

New Delhi, the 19th April 1977

No 30/14/77-PRESS.—In pursuance of Government's declared policy on the functioning of press and of news agencies, it has been decided to appoint a Committee to examine the functioning of Samachar and to make recommendations regarding its future set-up. The Committee is constituted as follows:

Chairman

1. Shri Kuldeep Nayar

Members

2. Shri D. R. Mankekar
3. Shri C. R. Irani
4. Shri A. K. Sarkar
5. Shri K. R. Malkani
6. Shri Rahul Barpuje
7. Shri Ishrat Ali Siddiqui
8. Shri K. Chathunni Master
9. Shri Nikhil Chakravartty
10. Shri S. G. Munagekar

11. Shri R. Rajagopalan

12. Shri L. Dayal—*Member Secretary.*

2. The terms of reference of the Committee will be:—

- (i) To review the situation arising from collection and dissemination of news by a single news agency within the country and abroad and make recommendations consistent with the freedom of press, independence of news agencies, and possibilities of competitive services freely to all users.
- (ii) To report on the financial viability of 'Samachar' taking into account the grants-in-aid given by the Government to tide over its unsatisfactory financial situation.
- (iii) To consider and make recommendations in regard to the personnel of 'Samachar', their emoluments, their integration and absorption, fittings and replacements *vis-a-vis* the erstwhile news agencies.
- (iv) To make suitable recommendations about the future set-up of 'Samachar' and other forms of news agencies if suggested keeping in view the need for providing complete, impartial, objective, accurate, and country-wide news service.
- (v) To take a view on the functioning of 'Samachar' as a member of the News Agencies Pool of the Non-aligned Countries and its commitments with regard to bilateral arrangements with a number of news agencies of the non-aligned countries for mutual exchange of news and the manner in which its obligation will be discharged.
- (vi) To report on any other aspect of the problem relating to proper functioning of a news agency or news agencies.

3. The Committee may examine any other allied matter necessary to enable it to make its recommendations on the future set up of 'Samachar'.

4. The Committee will consult newspaper managements and also working journalists, non-journalist workers and any other interested groups that it may consider desirable to consult.

5. The Committee will meet as often as considered necessary. The headquarters of the Committee will be at New Delhi but it may visit such places as considered necessary for a proper and comprehensive study of the areas outlined above.

6. The Committee will evolve its own procedure.

7. The Committee may submit its report as soon as possible but recommendations on future set-up of the 'Samachar' for immediate implementation may be submitted in three weeks' time.

8. Membership of this Committee will be honorary, but non-official members will be entitled to travelling and daily allowances in accordance with the Ministry of Finance, Department of Expenditure O.M. No. 6/26/E. IV/59, dated September 5, 1960, as amended from time to time.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman, Members of the Committee, Prime Minister's Office, all Ministries and Departments of Government of India and all State Governments and Union Territories.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India Extraordinary for general information

S M. H. BURNEY, Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

सं. ७८५

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1977

नं० 30/14/77-प्रेस.—अखबारों और खबर एजेंसियों के काम के संबंध में सरकार की घोषित नीति के अनुपालन में, 'समाचार' के कार्य की जांच तथा इसके भावी ढांचे के बारे में सिफारिशें करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का फैसला किया गया है। समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

अध्यक्ष

1. श्री कुलदीप नायर

सदस्य

2. श्री डी० आर० मनवेंकर

3. श्री सी० आर० हरानी

4. श्री ए० के० सरकार

5. श्री के० आर० मलकानी

6. श्री राहुल बारपुटे

7. श्री इशरत अली सिद्दीकी

8. श्री के० धायुनी मास्टर

9. श्री निखिल चक्रवर्ती

10. श्री एस० जी० मृणगंकर

11. श्री आर० राजगोपालन

12. श्री ल० दयाल

सदस्य सचिव

2. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

- (i) देश के अन्दर और बाहर से एक ही खबर एजेंसी द्वारा समाचार संग्रह करने और बांटने से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करना और अखबारों की आजादी, खबर एजेंसियों की स्वतंत्रता तथा सभी उपयोक्ताओं के लिए मुक्त रूप से प्रतियोगी सेवाएं उपलब्ध करने की संभावना के अनुरूप सिफारिशें करना।
- (ii) 'समाचार' की असंतोषजनक वित्तीय स्थिति का सामना करने के लिए सरकार द्वारा दी गई अनुदान सहायता को ध्यान में रखते हुए इसकी वित्तीय क्षमता के बारे में रिपोर्ट देना।
- (iii) समाचार के कामिकों, उनकी परिलब्धियों, उनका एकीकरण करने, उन्हें खपाने; उनको उपयुक्त स्थान देने और उनकी प्रतिस्थापना के बारे में, पूर्ववर्ती समाचार एजेंसियों को ध्यान में रखकर विचार करना और सिफारिशें करना।
- (iv) 'समाचार' के भावी ढांचे तथा सम्पूर्ण, निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ, सही और देशव्यापी समाचार सेवा की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए सुझाव दिए जाने पर, खबर एजेंसियों के अन्य रूपों के संबंध में उपयुक्त सिफारिशें करना।
- (v) गुटनिरपेक्ष देशों के 'यूज एजेंसी पूल' के सदस्य के रूप में 'समाचार' के कार्य और गुटनिरपेक्ष देशों की कई खबर एजेंसियों के साथ खबरों के पारस्परिक आदान-प्रदान के संबंध में 'समाचार' की वृद्धिशीलता तथा इस दायित्व को पूरा करने के तरीकों के संबंध में विचार करना।

(vi) खबर एजेंसी या खबर एजेंसियों के उचित ढंग से कार्य करने से सम्बद्ध समस्याओं के किसी अन्य पहलू पर रिपोर्ट देना ।

3. समिति, 'समाचार' के भावी ढांचे के बारे में अपनी सिफारिशें कर सकने के लिए आवश्यकतानुसार अन्य सम्बद्ध मामों पर भी विचार कर सकती है ।

4. समिति, समाचार-पत्रों के प्रबन्धकों तथा उन श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकार कर्मचारियों तथा इसमें दिलचस्पी रखने वाले अन्य समूहों से भी सलाह करेगी जिनसे सलाह करना वह वांछनीय समझे ।

5. समिति की जितनी बार जरूरत हो, उतनी बार बैठके होंगी । समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा पर यह उपयुक्त निर्दिष्ट क्षेत्रों के समुचित और व्यापक अध्ययन के लिए, आवश्यक समझे तो अन्य स्थानों का दौरा कर सकेगी ।

6. समिति स्वयं अपनी कार्यविधि निश्चित करेगी ।

7. समिति यथा शीघ्र अपनी रिपोर्ट देगी पर 'समाचार' के भावी ढांचे के संबंध में तुरन्त कार्यान्वयन के लिए तीन सप्ताह के भीतर अपनी सिफारिशें देगी ।

8. इस समिति की सदस्यता अवैतनिक होगी पर गैर-सरकारी सदस्यों को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के ओ० एम० संख्या : 6/26 ई-4/59, दिनांक 5-9-1960 (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार आता और दैनिक भत्ता लेने का हक होगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों, प्रधान मंत्री के कार्यालय, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों तथा सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्व साधारण की जानकारी के लिए भारत के प्रसाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

एस० एम० एच० बर्नी, सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977